न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 15/2018

अनवान :

राजेशकुमार पुत्र किशनकुमार जाति अग्रवाल निवासी कलाना हाल निवासी 118ई ब्लॉक नजदीक रोहित पार्क सिरसा।

- सायल

बनाम

1. किशनकुमार पुत्र नोरंगराय
2. विजयकुमार पुत्र किशनकुमार
3. सुरेन्द्रकुमार पुत्र किशनकुमार
4. नरेन्द्रकुमार पुत्र किशनकुमार

} जाति अग्रवाल निवासीगण कलाना हाल मितल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अनाज मण्डी भादरा तहसील भादरा।

5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- गैरसायलान

दरख्वास्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **सायल**

वकील श्री संदीप गोदारा : **गैरसायल सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 31.05.2019

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के वर्तमान खाता सं0 88/191 के खसरा सं0 119/2 की 2.530 है0, खसरा सं0 119/3 की 2.397 है0 कुल 4.927 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि गैरसायलान किशनकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है।

सायल एवं गैरसायलान हिन्दू है तथा वे हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि सायल की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें सायल का जन्म से हक एवं अधिकार है। वादभूमि पहले सायल के दादा नोरंगराय की खातेदारी हुआ करती थी। नोरंगराय के देहान्त होने पर वादभूमि सायल एवं गैरसायलान सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल गैरसायल किशनकुमार ने तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वादभूमि तन्हा गैरसायलान किशनकुमार के नाम दर्ज होने के चलते गैरसायलान सं0 1 ता 4 ने वादभूमि को बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के विक्रय करने की धमकी दी है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल अपनी खातेदारी से महरूम हो जायेगा एवं सायल को अपूर्णीय क्षति होती। ऐसे में सायल गैरसायलान के खिलाफ ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वे वादभूमि को रहन बैय या दिगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

करे। सायल का वाद पत्र प्रथम दृष्टया साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। यदि गैरसायलान किसी प्रकार से वादभूमि को रहन बैय या दीगर तरीके से खुर्द बुर्द कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायलान सं0 1 ता 4 ने जबाब दरख्वास्त पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि सायल करीब दस–सवा दस वर्ष पूर्व दीपावली के अगले रोज रामनवमी के दिन गैरसायलान से सम्पति एंव निजी रूप से अलग होकर सिरसा जाकर बस गया था। सायल का सिरसा में अलग से कारोबार एवं रिहायश है। इस प्रकार सायल संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं है। बल्कि वह विभाजित परिवार का सदस्य है। सायल लम्बे अर्से से गैरसायल से अलग होकर सिरसा में ही अपना कारोबार कर रहा है।

वाद सायल आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किऐ जाने योग्य है। सायल का कृषि भूमि जेरबहस में कोई खातेदारी हिस्सा नहीं है तथा वह गैरसायल से अलग होने के कारण उसका वाद भूमि में कोई हिस्सा, कब्जा आदि कुछ भी नहीं है। सायल न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा उसने वाद पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छूपाकर न्यायालय के साथ कपट का प्रयोग किया है।

बहस वकील उभय पक्षकारान गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद भूमि गैरसायल किशन कुमार के नाम दर्ज है। वाद भूमि पहले सायल के दादा की खातेदारी थी। वादी का हक गैरसायल जमीन को बेचने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी पक्ष में है। रिकार्ड यथावत् रखने पर दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम कलाना के खसरा सं0 119/2 व 119/3 की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु पेश किया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दुओं 1. प्रथम दृष्टया मामला 2 सुविधा का सन्तुलन 3 अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रार्थी ने अपने प्रार्थना में अंकित किया है कि वादभूमि सायल की दादालाई कृषि भूमि है। वहीं दूसरी तरफ अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि वाद भूमि स्वयं गैरसायल किशन कुमार की खुद पैदा कर्ता खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल की स्व अर्जित सम्पति है। परन्तु दावा के साथ संलग्न जमाबन्दी खतौनी ग्राम कलाना सम्वत् 2042 में वाद भूमि प्रार्थी के दादा नौरंग वल्द जगन नाथ के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बन रहा है।

2. **सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति** : चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बन रहा है। वाद कृषि भूमि प्रार्थी के दादा के समय से दर्ज चली आ रही है तथा पक्षकारान के हिस्सो का निर्धारण दावा के निर्णय में होना है। अप्रार्थीगण को कोई असुविधा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ना ही कोई अपूर्णीय होना प्रतीत होता है। यह संभव है कि यदि कृषि भूमि रहन, बैय या मुन्तकिल कर दी जाती है तो वाद कृषि भूमि में निहित प्रार्थी का हिस्सा व अधिकार प्रभावित होगें व प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्राथी के पक्ष में बन रहे है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का सन्तुलन 3. अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है।

अत : दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी की जाती है कि वे रोही मौजा कलाना के वर्तमान खाता सं0 88/191 के खसरा सं0 119/2 की 2.530 है0, खसरा सं0 119/3 की 2.397 है0 कुल 4.927 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी किशनकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नहीं करे एवं रिकार्ड तथा मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.05.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़